

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
 :: आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प० ८ (५५) शिक्षा-५/०४ जयपुर दिनांक २१.०९.२००५ एवं २३.०५.२००७ के क्रम में निर्देशानुसार शिव ज्योति बाल विद्यानिकेतन शिक्षा समिति, कोटा द्वारा संचालित शिव ज्योति सीनियर सैकण्डरी स्कूल, नया नोहरा, बोरखण्डी, कोटा को वर्तमान स्थान से रथकाकरा, कोटा में भवन परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम १९८९ एवं नियम १९९३ की पालना करनी होगी।


-२-

उप निदेशक (माध्यमिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

क्रमांक : शिवि-माध्य/मा/अ-२-३७/भ.प./शिव ज्योति/११ दिनांक : २३/११/११

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, २ सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली-११० ३०१ को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय द्वारा जारी संस्था के अनापत्ति प्रमाण पत्र में उपरोक्तानुसार संशोधन कर सूचित करें।
२. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा
३. सचिव, शिव ज्योति बाल विद्यानिकेतन शिक्षा समिति, कोटा
४. संबन्धित संस्था प्रधान शिव ज्योति सीनियर सैकण्डरी स्कूल, नया नोहरा, बोरखण्डी, कोटा
५. गार्ड फंजिका


 उप निदेशक (माध्यमिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
 बीकानेर

Manager
 School Managing Committee Change order-2011.doc
 Shiv Jyoti Sr. Sec. School
 Rathkankara, Kota-9 (Raj.)


 Shiv Jyoti Sr. Sec. School
 Rathkankara, Kota-9 (Raj.)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8 (55) शिक्षा-5/04 जयपुर दिनांक 21.09.2005 एवं 23.05.2007 के क्रम में निर्देशानुसार शिव ज्योति बाल विद्या निकेतन शिक्षा समिति, तलपवंडी, कोटा द्वारा संचालित शिव ज्योति सीनियर सैकण्डरी स्कूल तलपवंडी, कोटा को वर्तमान स्थान तलपवंडी, कोटा से नया नोहरा, बोरखण्डी, कोटा में भवन परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संस्था को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1999 एवं नियम 1999 की पालना करनी होगी।

Sir
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/मा/अ-2-3/भ040/शिव ज्योति/10 दिनांक - 2-8-10

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली-92 को भेजकर लेख है कि इस कार्यालय द्वारा जारी संस्था के अनापत्ति प्रमाण में उपरोक्तानुसार संशोधन कर सूचित करें।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा
3. सचिव, शिव ज्योति बाल विद्या निकेतन शिक्षा समिति, तलपवंडी, कोटा
4. संबंधित संस्था प्रधान शिव ज्योति सीनियर सैकण्डरी स्कूल तलपवंडी, कोटा
5. गार्ड फंजिका

J. K. S.
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Manager
School Managing Committee
Shiv Jyoti Sr. Sec. School
Rathkankara, Kota-9 (Raj.)

PRINCIPAL
Shiv Jyoti Sr. Sec. School
Rathkankara, Kota-9 (Raj.)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, ज्ञान - संस्थान, कोटा

कार्यालय - बाईस

शिव ज्योति बाल विद्या निकेतन, तलवण्डी, कोटा को निम्न शर्तों के आधार पर प्राथम स्तर की प्रथम बच्चायी मान्यता दिनांक १-७-८२ से दिनांक ३०-६-८४ तक तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाती है।

शर्तें :-

- १:- बच्चा के नाम पांच दर्ज के लिये सुरक्षित कोण में २०००/- जमा कराया जावे।
- २:- प्रशिक्षित अध्यापक ही रहें जावें।
- ३:- नियुक्ति के समय विभागीय प्रतिनिधि बुलाया जाव।
- ४:- छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावे।
- ५:- वाटिड कराया जावे।

हस्ता०

जिला शिक्षा अधिकारी,
ज्ञान-संस्थान, कोटा

क्रमांक: विशिख।सा.शं-आ.प्रा.वि।८२-८३-७३४ दिनांक २ मार्च, ८३
प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं पालनार्थ :-

- १:- प्रधानाध्यापक, शिव ज्योति बाल विद्या निकेतन तलवण्डी, कोटा।
- २:- कलकल नामांकन प्रभारी, स्थानीय कार्यालय।

जिला शिक्षा अधिकारी,
ज्ञान - संस्थान, कोटा



Principal
Shiv Jyoti Sr. Sec. 807
Naya Nohra, Borkh
Talwandi, Kota (R)

नागर।

कार्यालय जिना शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) कोटा
 क्रमांक-जिना/को/साया-निस/54-85/26-28 दिनांक 10-11-1985
 कार्यालय आदेश

छात्र ज्योति नारायण निवेदन विद्यापीठ द्वारा संचालित छात्र ज्योति
विद्यापीठ निवेदन हाजगाडी को संलग्न मान्यता-पत्रों के अधीन
 प्रथमिक/उच्च प्रथमिक स्तर तक की मान्यता पूर्वकथा अस्थाई तौर पर दिनांक
 30 जून 1985 तक की अवधि के निम्ने अनुद्वारा प्रदान की जाती है।

इसो क्रम में निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर विशेष
 ध्यान दिया जावे तथा पाठ्यता की रिपोर्ट दो माह की अवधि में इस कार्यालय
 को प्रस्तुत की जावे -

1. शाखा के अधीनस्थ अध्यापक रखे जावे।
2. अध्यापकों को विभागीय नियमानुसार वेतन चुकाया जावे।
3. अध्यापकों की नियुक्तियों विभाग द्वारा सुमरित नियम-पत्र
 के अनुसार की जावे।
4. प्रथम वर्ष की समाप्ति पर ~~की~~ लेखों का विश्लेषण
 ए.नं. द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाकर उसकी सत्यापित प्रतिलिपि काबज
 की जावे।

(5) अंतर्गत फंड की सुविधा अनुसार दी जावे

मान्यता के लिए निर्धारित शर्तों को पालन न करने अथवा अनंतोत्तर
 दिये जाने की स्थिति में यह विभागीय मान्यता तुरन्त प्रभां व से समाप्त कर
 दी जावेगी।

(हस्ता)
 जिना शिक्षा अधिकारी
 छात्र संस्थाएं कोटा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एतद् आवश्यक कार्यालयों हेतु -

- 1- सम्बन्धित विद्यालय छात्र ज्योति नारायण निवेदन विद्यापीठ हाजगाडी कोटा
- 2- अतिरिक्त जिना शिक्षा अधिकारी (साया) जिना शिक्षा अधिकारी
- 3- अतिरिक्त जिना शिक्षा अधिकारी
- 4- वैदिक प्रबन्धक स्थानीय कार्यालय
- 5- नायब सचिव स्थानीय कार्यालय
- 6- गार्ड फाइल

जिना शिक्षा अधिकारी
 छात्र संस्थाएं कोटा

Principal

Shw Jyoti Sr. Sac. School
 Naya Nohra, Borkhandl

राजस्थान-सरकार
शिक्षा विभाग-1 विभाग

क्रमांक: एफ 14/1/विधा-1/87

जयपुर, दिनांक: 17.2.1988

निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत
किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रति,
निदेशातुसार निम्नलिखित मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों

को उनके आगे उचित क्षेत्र से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने हेतु माध्यमिक
शिक्षा बोर्ड, अजमेर मान्यता प्रदान करता है तो राज्य सरकार को कोई आपत्ति
नहीं है:-

क्रमांक	विद्यालय का नाम	क्षेत्र
1.	डिप्लोमा उच्च प्राथमिक विद्यालय, आदर्श नगर, अजमेर	1988-89
2.	भारती विद्याभवन उच्च प्राथमिक विद्यालय, बांसवाडा	1988-89
3.	आदर्श सेंट्रल उच्च प्राथमिक विद्यालय, शारदीनगर, जोधपुर	1988-89
4.	शिवज्योति बालविद्यानिकेतन उ.प्रा.वि.0, तलवण्डी, कोटा	1987-88
5.	निर्मला कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोटा	1988-89
6.	अगर बात उच्च प्राथमिक विद्यालय, शाहीपुरा, जयपुर।	1987-88
7.	सेन्ट्रल उच्च प्राथमिक विद्यालय, अजमेर	1988-89

शर्तें

1. कक्षा 9 में न्यूनतम छात्र/छात्रा होना अनिवार्य है।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों की पूर्ति
इच्छा का स्वयं के साधनों से करनी होगी।
3. मान्यता आवेदन पत्र बोर्ड से प्राप्त कर निदेशालय के माध्यम से ही प्र
स्तुत किया जावे।
4. राज्य-सरकार द्वारा कृप हेतु आगामी पाँच वर्ष तक कोई अनुदान देय नहीं होगा।

भवदीय,
ह/0

सहजनमल मेहता
विभागाधिकारी, शिक्षा

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक: शिचिरा/माध्यमिक/अ-4/21313/88

दिनांक: 27.2.88

प्रतिलिपि: 8

1] विभागाधिकारी, शिक्षा विभाग-1 विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2] सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।

3] संयुक्त निदेशक (पुरुष) शिक्षा विभाग, जयपुर।

4] शिक्षा उपनिदेशक (पुरुष) शिक्षा विभाग, जोधपुर/जयपुर/कोटा

5] शिक्षा उपनिदेशक (महिला) कोटा।

6] शिक्षा विभाग अधिकारी (क) जयपुर-1/अजमेर/बांसवाडा/जोधपुर/कोटा/अजमेर

7] शिक्षा विभाग अधिकारी (क) कोटा

8] संविधान प्रथमाध्यमिक/प्रथमाध्यापिका

Principal

Shri Jyoti Sr. Sec. School

Naya Nohra, Borkhandi

Talwar II Kola (Dist.)

राजस्थान-निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : शिक्षा/माध्यमिक/अ-4/21318/4/96-97 तारीख : 24.6.96

साथ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।

विषय : नैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय की लीनिंग माध्यमिक स्तर पर प्रमोन्नति।

महोदय,

निदेशानुसार किन्तु नैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति एवं शिक्षा अधिकारी की अनुमति पर सत्र 1996-97 से उनके नाम के सामने शैक्षिक संकाय एवं विषय में लीनिंग माध्यमिक स्तर पर प्रमोन्नति करने की स्वीकृति किन्तु शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

विद्यार्थी का नाम	संकाय	विषय	पि. डि. ज.
शिव ज्योति बाल शिक्षा निदेशन, तलकण्डी, कोटा	हिन्दी	विज्ञान	गणित, भौतिक, रसायन छात्र, एवं जीव विज्ञान कोटा
	कला	हिन्दी, अंग्रेजी	शैक्षिक एवं व्याख्याता, नागरिकशास्त्र एवं गृह विज्ञान

- 1] स्वीकृत प्रमोन्नति के वर्ष में प्रदान। एवं बाद के वर्ष में प्रदान पर प्रारम्भ की जाये।
- 2] निदेशानुसार न्यूनतम छात्र/छात्राओं का प्रवेश बाध्यता है।
- 3] इस हेतु किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा तथा संस्था को अपने स्तर पर बोर्ड सहायता शर्तों की पूर्ति करनी होगी।
- 4] माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर की शीट की सहायता हेतु प्रमोन्नति संस्था द्वारा प्रमोन्नति शिक्षा धार।
- 5] संस्था को राजस्थान नैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं राजस्थान नैर सरकारी शैक्षिक संस्था प्रमान्यता, संरक्षण, अनुदान और सेवा की अधिनियम 1995 में वर्णित सभी प्रावधानों, शर्तों एवं धाराओं की पालना करनी होगी।
- 6] विभागीय अधिसूचियों एवं निर्देशों की पालना करनी होगी।
- 7] उम्मीद है कि संस्था शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्वीकृति के परिष्कार नहीं किया जाये।

भवदीय,

उप निदेशक/माध्यमिक शिक्षा,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिनिधि : निम्नांकित की सुनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1] विभागाधिकारी, शिक्षा अनुप-निदेशन, राजस्थान, जयपुर।
- 2] शिक्षा बोर्ड अधिकारी, कोटा, कोटा।
- 3] शिक्षा बोर्ड अधिकारी, कोटा।
- 4] प्रभारी अ-3 प्रभाग माध्यमिक अनुमान, निदेशन, जयपुर।
- 5] शिक्षा प्रमोन्नति।

(Handwritten Signature)

Principal
Shiv Jyoti Sr. Sec. School
Naya Nohra, Borkhandl
Talwandi, Kota (Raj.)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान



अजमेर

प्रेषक :-

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

प्राप्त प्रेषित :-

प्रधानाचार्य,
श्रीमं ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय,
तालवाडी, कोटा

क्रमांक - मान्यता/ 3234/2000/ 946857

दिनांक 21/12/2000

स्थायी मान्यता पत्र

महोदय/महोदय,

अध्यक्ष महोदय द्वारा आपके विद्यालय को निम्नानुसार ~~नाभ्यमिक~~ / उच्च माध्यमिक स्तर पर वर्ष2000..... से मान्यता प्रदान की जाती है।

~~अनिवार्य~~ विषय : हिन्दी, अंग्रेजी.

कला वर्ग : ~~कला~~ विशेष हिन्दी, विशेष अंग्रेजी, अक्षात्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान.
विज्ञान वर्ग : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित.

भवदीय
21/12/2000
उप-सचिव
निदेशक शिक्षा

दिनांक

पुस्तक संख्या - मान्यता /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, प्रथम/द्वितीय

उप-सचिव

Shw Jyoti Sr. Sec. School
Principal
Moya Nohra, Borkhandi
Talwandi, Kota (Raj.)